16.03..2026

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादिनी के द्वारा अधिवक्ता हाजरी है। पुकार पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रथमतः इस मामले के लिए सूचिका मिनवा देवी के आवेदन पर जमुई एस0 सी0 एस0 टी0 थाना में प्राथमिकी संख्या 21/2024 के रूप में काण्ड अंकित हुआ था। पुलिस ने अनुसंधान उपरांत अंतिम प्रतिवेदन संख्या 06/25, घटना को असत्य दर्शाते हुये समर्पित किया है। इस अंतिम प्रतिवेदन के विरूद्ध सूचिका द्व ारा दाखिल विरोध पत्र को दिनांक 30.07.2025 को परिवाद माना गया। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले में परिवादिनी मिनवा देवी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त दो साक्षी मुकेश कुमार एवं रामप्रवेश यादव का साक्ष्य करवाया है।

परिवादी के विरोध–सह–परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी का मामला साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 27.09.2024 को करीब 2.00 बजे अपराहन्न परिवादिनी चिमनी पर से मजदूरी का रूपया लेकर रोड़ से पैदल अपने घर जा रही थी। चिमनी से कुछ ही दूरी पर रोड़ किनारे राजेश यादव का घर है। जब वह राजेश यादव के घर के नजदीक पहुंची तो वहीं खड़े राजेश यादव, विष्णु यादव, शिव यादव उसको (परिवादी को) जाति सूचक गाली देने लगे और रोड़ पर आकर परिवादी को छेंक लिया। राजेश यादव बोला कि साली, डोमिन अब कौन बचाएगा और अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसका ब्लाउज फाड़ दिया। विष्णु यादव उसका झोंटी पकड़कर जमीन पर पटक दिया और सभी लोग लात–मुक्का से मारने लगे, जिससे उसका साड़ी खुल गया और वह अर्द्धनग्न हो गयी। सभी अभियुक्त उसका दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुये नाली के गंदा पानी के पास ले जाकर जमा गंदा पानी उसके देह एवं मुंह पर छिटने लगा। सभी मिलकर बोले कि ''साली, डोमिन हमलोग का काम करेगी''।

यहां उल्लेखनीय है कि परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त दो साक्षी मुकेश कुमार एवं रामप्रवेश यादव का साक्ष्य करवाया है। परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह चिमनी से पैसा लेकर अपने डेरा जा रही थी, तो विष्णु यादव, शिव यादव एवं राजेश यादव गाली देते हुये बोला कि डोमिन कहां जा रही हो तो उसके कहां कि राशन लेने जा रही है, तो इस पर अभियुक्तो ने कहा कि काम करने क्यों नहीं आती हो। **उल्लेखनीय है कि यह**

तथ्य परिवाद पत्र में दर्ज नही है। उसका हाथ पकड़कर ब्लाउज फाड़ दिया और उसे पटक दिया तथा नाली का पानी मुंह में डाल दिया। **न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर परिवादिनी ने कथन किया है कि वह शशिभूषण को नही जानती है। उसने स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके मुदकमा को झूठा पाया है। उसे नही मालूम है कि पुलिस ने काण्ड दैनिकी में लिखा है कि राजेश यादव और चिमनी भट्टा मालिक अजय यादव एवं शशि भूषण से जमीनी विवाद चल रहा है एवं उनके कहने पर झूठा मुकदमा किया है।** जबकि परिवाद पत्र में उल्लिखित है कि राजेश यादव ने उसे पकड़कर उसका ब्लाउज फाड़ दिया। विष्णु यादव उसका झोंटी पकड़कर जमीन पर पटक दिया और सभी लोग लात–मुक्का से मारने लगे, जिससे उसका साड़ी खुल गया और वह अर्द्धनग्न हो गयी। **लात–मुक्का से मारने की बात परिवादिनी ने अपने साक्ष्य में नही कहीं है।** जांच साक्षी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि मिनवा देवी भट्टा पर से पैसा लेकर घर जा रही थी। **राजेश यादव, विष्णु यादव एवं शिव यादव ने उसका पैसा छीन लिया। पैसा छीनने वाली बात ना तो परिवाद पत्र में दर्ज है और ना ही परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है। इस साक्षी संख्या 1 ने ब्लाउज फाड़ने, अर्द्धनग्न करने एवं नाले का पानी छिड़कने की बात का समर्थन नही किया है।** जांच साक्षी संख्या 2 रामप्रवेश यादव ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि मिनवा देवी भट्टा से काम करके घर जा रही थी तो कुछ दूर जाने के बाद उसे राजेश यादव ने मिनवा देवी को रोका और गाली दिया, उसका ब्लाउज फाड़ दिया तथा जमीन पर गिरा दिया। **इस जांच साक्षी संख्या 2 ने अपने साक्ष्य में शिव यादव एवं विष्णु यादव के नाम का उल्लेख ही नही किया हैं।** न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि वह एवं दूसरा गवाह मुकेश यादव, भूषण यादव के भट्टे पर काम करता है। अतः मेरे विचार से मामले में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नही है। जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अभियुक्त के विरूद्ध किसी अपराध के करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः यह आपराधिक परिवाद **अस्वीकृत (Reject)** किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।